



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218663
CG-DL-E-14032020-218663

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 935]
No. 935]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

का.आ. 1041(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 10.10.2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 3659(अ) के पैरा 5 के तहत सारिणी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11.10.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3678(अ) के माध्यम से जोड़े गए क्रम सं. 21क और उससे संबंधित प्रविष्टि की जगह निम्नवत पढ़ा जाए:

क्र.सं.	राज्य का नाम	नामित सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
21क	त्रिपुरा चिकित्सा परिषद्	डॉ. देवाशीष चक्रवर्ती

[फा. सं. वी.11013/01/2020-एमईपी (पार्टी)]
निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2020

S.O. 1041(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) under paragraph (5), in the Table, the serial number 21A and the entries relating thereto, inserted vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare S.O. 3678(E) dated 11th October, 2019, shall be substituted as under:-

Sr. No.	Name of the State	Name of Nominated Member
(1)	(2)	(3)
21A.	Tripura Medical Council	Dr. Debasish Chakraborty

[F. No.V.11013/01/2020-MEP(Pt.)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.